पुलिस आदेश संख्या 252 /95

विषय:- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामलों का पर्यवेक्षण ।

पुलिस अभिरक्षा में बंदियों की हुई मृत्यु के बारे में आरक्षी हस्तक नियम 203 स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत, पुलिस की जाँच के क्रम में या पुलिस के समक्ष बयान देने के क्रम में मरा हो तो थाना प्रभारी इसकी सूचना निकटतम दण्डाधिकारी को देंगे और सूचना पाते ही अनुमण्डल दण्डाधिकारी इसकी जाँच करेंगे । आरक्षी अधीक्षक से भी आशा की गई है कि वे इस तरह की घटनाओं की जानकारी रखेंगे और इसतरह के मामलों में अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों द्वारा की गई जाँच के अतिरिक्त स्वयं घटनास्थल पर शीघ्र जाकर जाँच करेंगे ।

मुख्यालय को ऐसे मामले दृष्टिगोचर हुये हैं जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुलिस हिरासत, पुलिस के अनुसंधान जाँच एवं पुलिस के समक्ष बयान देने के क्रम में हुई मृत्यु के मामले में आरक्षी अधीक्षक स्वयं जाँच न कर मामले के पर्यवेक्षण का प्रभार अधीनस्थ पदाधिकारियों को सौंप देते हैं या इतनी विलंब से जाँच करते हैं जितने अधीनस्थ दोषी पदाधिकारियों को विपरीत साक्ष्य मिटाने और अनुकूल साक्ष्य जुटाने का मौका मिल जाता है । यद्यपि आरक्षी हस्तक नियम 203 इस तरह के मामलों में आरक्षी अधीक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित करता है और बिना समय बिताये जाँच करने का निर्देश देता है परन्तु इस आदेश का अनुपालन प्रायः नहीं किया जा रहा है ।

अतः निर्देश दिया जाता है कि पुलिस हिरासत, पुलिस की जाँच अनुसंधान के दौरान या पुलिस के समक्ष बयान देने के क्रम में घटित सभी मृत्यु के मामलों की जाँच आरक्षी अधीक्षक घटना घटने के 24 घंटे के अन्दर स्वयं करेंगे और काण्ड में विस्तृत पर्यवेक्षण टिप्पणी 48 घंटे के अन्दर सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजेंगे । घटित वे अपने घर किसी स्थान पर भी हो तो सूचना पाते ही घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर जाँच का कार्य शुरू करेंगे । इस अवधि में थाना प्रभारी/ आरक्षी निरीक्षक एवं अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी के अनुसंधान /पर्यवेक्षण में किसी प्रकार की रूकावट नहीं होगी और यदि आरक्षी अधीक्षक 24 घंटे से अधिक की अवधि के बाद घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वे अनुसंधान कर्त्ता द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और संबंधित आरक्षी उपाधीक्षक से काण्ड की पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त कर उसे अपनी

2/-

पर्यवेक्षण टिप्पणी के साथ अग्रसारित करें ... इस तरह ... की सूचना विलंतु संवाद के साथ-साथ दूरभाष ... आरक्षी उप-महानिरीक्षक ... को देंगे और इस तरह के मामलों के बारे में ... विवरणी भेजते समय ... करेंगे कि उनकी विवरणी में इस तरह ... छूटने न पाये ।

प्रक्षेत्रीय म0 नि0 एवं क्षेत्रीय ... उपरोक्त आदेश का ... सुनिश्चित करायेंगे और आरक्षी अधीक्षकों ... पर्यवेक्षण टिप्पणी पर अपने मंतव्य से यथाशीघ्र पुलिस मुख्यालय को ...

16/5/95

।जे0 के0 दोहरे ।
महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 1409 /एक्स. एल. महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय
एक्स. एल।जे।-225-92 बिहार, पटना
पटना, दिनांक 17 मई, 1995

प्रतिलिपि:-

1. सभी आरक्षी अधीक्षक।रेलवे सहित। बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
2. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक।रेलवे सहित।/सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक।रेलवे सहित। , बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक
3. अपर महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना / अपर महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
4. आरक्षी महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटर/प्रोवीजन/क्राइम रेकर्ड ब्यूरो/तकनीकी सेवायें/सशस्त्र बल, बिहार, पटना को सूचनार्थ
5. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

16/5/95

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

विजय/16595/